## न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 847/ 2019

1 सन्तोष कुमार पुत्र जयपाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 5 लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल जाति कुम्हार निवासी अग्रसैन थ्रैड श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 जयपाल पुत्र ठाकरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 5 लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गीता पुत्री जयपाल पत्नी जागरराम जाति कुम्हार निवासी 34 एल एल डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

3 इन्दुबाला पुत्री जयपाल पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार निवासी वैशालीनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मेजर सिह अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रामकुमार जालवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

**निर्णय** दिनांक :– 12.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 जयपाल के नाम से राजस्व तहसील सादुलशहर के चक 12 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 प.न. 19/173 मु.न. 9 कि.न. 21 ता 25 सालम मय रास्ता 0.0038 है. कुल 1.265 है., प.न. 19/174 मु.न. 20 के कि.न. 1 ता 5 व 10 सालम मय रास्ता 0.038 है. कुल 1.518 हे. यानि दोनो मुरब्बों की कुल 2.783 है. नहरी मय गै.मु. आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी वादीगण की जददी जायदाद एव पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे वादीगण प्राप्त करने के हकदार एव अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने करीब 10–12 वर्ष पूर्व उक्त अनवानी दावा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी का फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर घरू बंटवारा कर लिया था तथा उसी समय से वादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी पर बिना किसी विघ्न के लगातार काबिज एव काश्त करते आ रहे है, जिसे वादीगण अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाने के हक अधिकारी है। मद संख्या 6 मे कब्जा काश्त का वर्णन किया गया। मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभान्वित योजना जैसे ऋण, मुआवजा राशि, अनूदान राशि आदि से वंचित रहना पड़ता है, इसलिये वादीगण मुताबिक घरू बंटवारा व फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर अपने अपने हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी अपने अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाने की घोषणा पाने के हकदार एव अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादीगण का मुश्तर्का खाता होने के कारण पानी की बारी रेवेन्यू ऋण आदि को लेकर आपस में विवाद बना रहता है जिससे आपस मे मुकदमेबाजी बढने की सम्भावना बनी रहती है इसलिये वादीगण अपने हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी को अपने नाम से अलग से खाता कायम करवाने का हकदार एव अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कई बार तकाजा किया कि मुताबिक घरू बंटवारा के आधार पर वादीगण के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवा देवे तो प्रतिवादीसंख्या 1 आज कल आजकल कर टाल मटौल करता रहा और समय निकालता रहा तो वादीगण ने आज से तीन रोज पूर्व गांव लालगढ जाटान में पंचायत कर प्रतिवादीगण से उक्त बात कही तो प्रतिवादी संख्या 1पंचायत के लोगो के सामने स्पष्ट इन्कार हो गया , बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि चक 12 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 में प्रतिवादी संख्या 1 जयपाल के नाम से दर्ज 2.783 है. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम 2/3 हिस्सा तक कलमजन किया जाकर 1.854 है. आराजी में वादी संख्या 1 सन्तोष कुमार व वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे एव चक 12 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 प.न. 19/173 मु.न .9 कि.न. 22 में 0.168 है., कि.न. 23 ता 25 सालम कुल 0.927 है. आराजी का वादी संख्या 1सन्तोष कुमार को खातेदार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किया जावे, चक 12 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 प.न. 19/174 मु.न. 20 कि.न. 2 में 0.168 है, कि.न. 3 ता 5 सालम कुल 0.927 है. आराजी का वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इसी अनूसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया वकील प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति प्रकट की, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो किवादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है वादाधीन आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है एव वादीगण के कब्जा काश्त मे प्राप्त आराजी के सम्बध में प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पेश कर वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है एव वाद वादीगण को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण एव प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त के सम्बध मे कोई विरोध नही है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 12 एस डी

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 प.न. 19/173 मु.न .9 कि.न. 22 में 0.168 है., कि.न. 23 ता 25 सालम कुल 0.927 है. आराजी का वादी संख्या 1 सन्तोष कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है एवं चक 12 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 20/12 प.न. 19/174 मु.न. 20 कि.न. 2 में 0.168 है, कि.न. 3 ता 5 सालम कुल 0.927 है. आराजी का वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव वादीगण को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 कलमजन किया जाता है।

उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:45:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: